



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 1268 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 05 / 11 / 2018

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत ज्ञानसू-साल्ड से उपला बस्ती मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.576 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं0- 8वी/यू0सी0पी0/06/210/2016/एफ0सी0/1856 दिनांक 08.02.2018 तथा आपका पत्रांक-4128/वन भूमि दिनांक, 02.11.2018।

महोदय,

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना की निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लेखित शर्त सं0-1 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लेखित वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार दस गुनी वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि में सुधार करते हुए पुनः संशोधित धनराशि तथा शर्त सं0-2 के अनुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	परियोजना हेतु दस गुनी यानि 1140 वृक्षों के रोपण हेतु।	114X10=1140 वृक्ष	1100 रु0 प्रति वृक्ष	12,54,000.00
2	एन0पी0वी0	0.576 हे0	घनत्व-0.1 दर-6,57,000.00	3,78,432.00

इसके अतिरिक्त पूर्व में की गई इस कार्यालय की पत्र सं0-4165/12-1 दिनांक 06.04.2018 की मांग के अनुसार प्रस्ताव पर संलग्न आर0सी0सी0 पिल्लरों के निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि प्राक्कलन के अनुसार मु0 3,07,000.00 (तीन लाख सात हजार रुपये) की धनराशि का भी बैंक ड्राफ्ट या चैक प्रभागीय वनाधिकारी के नाम बनाकर इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, ताकि विषयगत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु लिखा जा सके।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।